

मैनुअल XVII (1)

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करना;

[धारा 4(1)(b)(viii)]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत
केंद्रीय सूचना आयोग की तिमाही रिपोर्ट के लिए समेकित सूचना

विभाग/संगठन का नाम: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम: नामित पीआईओ का नाम: नामित एपीआईओ का नाम:	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग श्री राजेश दांगी, सचिव श्री चंद्रकांत राँय, संयुक्त सचिव श्री कुलदीप सिंह डबास, कार्मिक अधिकारी
---	---

(अप्रैल 2024 से जून 2024 तिमाही के लिए)

	तिमाही के पहले दिन प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत कर दिए गए	निर्णय जहां अनुरोधों/अपीलों का उत्तर दिया गया
अनुरोध	118	16	76	3	0	200
अपील	0	एन/ए	11	एन/ए	0	10

पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रु. में) धारा 7(1) के अंतर्गत	एकत्रित अतिरिक्त शुल्क (रु. में) धारा 7(3) के अंतर्गत	धारा 20(1) के तहत सीआईसी द्वारा निर्देशित जुर्माना राशि (रुपये में)	ऐसे मामलों की संख्या जहां किसी अधिकारी के खिलाफ धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
80	0	0	0

अस्वीकृत अनुरोधों के दौरान विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की संख्या													
आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा													
धारा 8 (I)										धारा			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
शून्य													

(जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तिमाही के लिए)

	तिमाही के पहले दिन प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत कर दिए गए	निर्णय जहां अनुरोधों/अपीलों का उत्तर दिया गया
अनुरोध	7	18	118	18	0	100
अपील	1	एन/ए	21	एन/ए	0	17

पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रु. में) धारा 7(1) के अंतर्गत	एकत्रित अतिरिक्त शुल्क (रु. में) धारा 7(3) के अंतर्गत	धारा 20(1) के तहत सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट जुर्माना राशि (रुपये में)	ऐसे मामलों की संख्या जहां किसी अधिकारी के खिलाफ धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
240	0	0	0

अस्वीकृत अनुरोधों के दौरान विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की संख्या													
आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा													
धारा 8 (I)										धारा			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
शून्य													

(अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तिमाही के लिए)

	तिमाही के पहले दिन प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत कर दिए गए	निर्णय जहां अनुरोधों/अपीलों का उत्तर दिया गया
अनुरोध	25	17	80	7	0	97
अपील	5	एन/ए	19	एन/ए	0	16

पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रु. में) धारा 7(1) के अंतर्गत	एकत्रित अतिरिक्त शुल्क (रु. में) धारा 7(3) के अंतर्गत	धारा 20(1) के तहत सीआईसी द्वारा निर्देशित जर्माना राशि (रुपये में)	ऐसे मामलों की संख्या जहां किसी अधिकारी के खिलाफ धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
120	2144	0	0

अस्वीकृत अनुरोधों के दौरान विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की संख्या													
आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा													
धारा 8 (I)										धारा			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य
शून्य													

(जनवरी 2025 से मार्च 2025 तिमाही के लिए)

	तिमाही के पहले दिन प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के तहत अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/अपील अस्वीकृत कर दिए गए	निर्णय जहां अनुरोधों/अपीलों का उत्तर दिया गया
अनुरोध	18	22	101	20	0	103
अपील	8	एन/ए	14	एन/ए	0	17

पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रु. में) धारा 7(1) के अंतर्गत	एकत्रित अतिरिक्त शुल्क (रु. में) धारा 7(3) के अंतर्गत	धारा 20(1) के तहत सीआईसी द्वारा निर्देशित जुर्माना राशि (रुपये में)	ऐसे मामलों की संख्या जहां किसी अधिकारी के खिलाफ धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई
190	42	0	0

अस्वीकृत अनुरोधों के दौरान विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की संख्या आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रासंगिक धारा														
धारा 8 (I)											धारा			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	अन्य	
शून्य														

हस्ताक्षर :	
अधिकारी का नाम और पद : टेलीफोन :	श्री चंद्रकांत रॉय, संयुक्त सचिव 011-41080417

* प्रारंभिक आवेदनों के रूप में पीआईओ द्वारा प्राप्त अनुरोध।
 ** प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों के अनुसार।
 \$ आंशिक रूप से स्वीकृत।